कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 13.09.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोंडा के थाना खरगूपुर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. फूला देवी पत्नी स्व0 कन्हैया लाल नि0 ग्राम दनौवा विरवा बभनी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–275/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना परसपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामकिशोर पुत्र कल्पनाथ पासवान नि0 ग्राम विशुनपुर कला थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–401/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.09.2023

थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अन्तर्गत चाकू मारकर हत्या करने का नामजद अभियुक्त पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद–

दिनांक 11.09.2023 को थाना कोतवाली देहात पुलिस को सूचना मिली कि अली हुसैन पुत्र मोहम्मद जलील निवासी दौलतपुर दर्जी कुंआ थाना कोतवाली देहात ने अपने साथियों के साथ आपसी वाद–विवाद में 1.साकिब पुत्र सलामत निवासी खोरहंसा बाजार कोतवाली देहात को फिरोजपुर मस्जिद के सामने की गली में चाकू मार कर हत्या कर दिया था, उक्त सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शिवराज के पर्यवेक्षण में घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना को0देहात से टीमें लगाई गयी थी।

उक्त निर्देश के क्रम में आज दिनांक 13.09.2023 को थाना को0देहात पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 495/23 धारा 147, 148, 149, 302, 307 भा0द0वि0 के नामजद अभियुक्त अली हुसैन उर्फ लादेन उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली देहात की टीमे द्वारा ग्राम कलन्दरपुर मोड़ मुन्ना भठ्टा के निकट गाड़ाबन्दी की गयी थी। एक व्यक्ति आता दिखाई दिया नजदीक आने पर रोका टोका गया तो गिरफ्तारी से बचने के लिए जान से मारने की नियत से तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आपसी मुठभेड़ में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिससे वह गिर गया और उसे पकड़ लिया गया तथा .12 बोर तमंचा व 01 अदद खोखा कारतूस व 1 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त अली हसन उर्फ लादेन का पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल गोण्डा में इलाज चल रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. अली हुसैन उर्फ लादेन पुत्र जलील अहमद नि0 दौलतपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु०अ०स० 495/2023, धारा 147,148,149,302,307 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०स० 496/2023 धारा 307 भा०द०वी० व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 01 अदद 12 बोर अवैध तमंचा।
02. 01 अदद जिंदा कारतूस।
03. 01 अदद खोखा कारतूस।

गिरफ्तारकर्ता टीम–
01. प्रभारी निरीक्षक को0 देहात महेंद्र कुमार सिंह मय टीम।
02. अति0निरीक्षक शिवानन्द प्रसाद मय टीम थाना को0देहात।

03. व0उ0नि0 खुश मोहम्मद मय टीम थाना को0देहात।
04. उ0नि0 नागेश्वर नाथ पटेल मय टीम थाना को0देहात।
05. उ0नि0 रामअशीष मौर्या मय टीम मय टीम थाना को0देहात।

<u>सराहनीय कार्य</u>
<u>प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 13.09.2023</u>

थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अन्तर्गत चाकू मारकर हत्या करने का दूसरा आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 11.09.2023 को थाना कोतवाली देहात पुलिस को सूचना मिली कि अली हुसैन पुत्र मोहम्मद जलील निवासी दौलतपुर दर्जी कुंआ थाना कोतवाली देहात ने अपने साथियों के साथ आपसी वाद–विवाद में 1.साकिब पुत्र सलामत निवासी खोरहंसा बाजार कोतवाली देहात को फिरोजपुर मस्जिद के सामने की गली में चाकू मार कर हत्या कर दिया था, उक्त सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शिवराज के पर्यवेक्षण में घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना को0देहात से टीमें लगाई गयी थी।

उक्त निर्देश के क्रम में आज दिनांक 13.09.2023 को थाना को0देहात पुलिस ने पुलिस मुठभेड के दौरान अभियुक्त अली हुसैन उर्फ लादेन को तथा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. रिजवान पुत्र खान पुत्र मो0 नजीव नि0 ग्राम फिरोजपुर बगिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु०अ०स०–495/2023, धारा 147,148,149,302,307 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.09.2023

अन्तर्जनपदीय जालसाज गिरफ्तार, 04 अदद चार पहिया वाहन बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में जालसाज अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा चार पहिया वाहनों का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जनता से धोखाधड़ी करने के आरोपी अभियुक्त रियासत अली गाजी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 04 अदद चार पहिया वाहन बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी बृजेश पुत्र शिव प्रसाद नि0 कस्बा/थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर महिन्द्रा टी0यू0वी0 गाड़ी 03 लाख 10 हजार में बेची थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि जिन गाड़ियों के नम्बर सही नही होते उनको कम दामो में खरीद कर उनकी फर्जी चेचिस व इन्जन प्लेट तैयार कर व उनके फर्जी पेपर तैयार करके उचित दामों में भोले–भाले लोगों को बेच देते थे। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रियासत अली गाजी पुत्र साजिद अली नि0 नरारामपुर ग्रन्ट थाना उचौलिया जनपद लखीमपुर खीरी।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–424/2023, धारा 419,420,467,468,471,504 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 मारूती सुजुकी नम्बर यू0पी0 32 केएन 5163
02. 01 अदद मारूति सियाज नम्बर यू0पी0 27 ए0बी0 0008
03. 01 अदद रेनॉल्ड डस्टर नम्बर यू0पी0 यू0पी0 15 ए0पी0 0175
04. 01 अदद महिन्द्रा टी0यू0वी0 नम्बर यू0पी0 15 सी0एम0 2323

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार गौतम थाना वजीरगंज मय टीम।
02. उ0नि0 सर्वजीत गुप्ता स्वाट टीम।
03. हे0का0 रणधीर सिंह स्वाट टीम।
04. हे0का0 यशवन्त सिंह स्वाट टीम।
05. हे0का0 महेन्द्र कुमार स्वाट टीम।
06. हे0का0 आनन्द प्रकाश स्वाट टीम।

<u>सराहनीय कार्य</u>
<u>प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 13.09.2023</u>

<u>थाना करनैलगंज पुलिस ने नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 13.09.2023 को थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर कन्हैयालाल इन्टर कालेज मैदान के पास से अभियुक्त राजा बाबू उर्फ बाज को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 128 अल्प्राजोलम की नशीली गोलिया बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 करनैलगंज में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. राजा बाबू उर्फ बाज पुत्र ताज मोहम्मद उर्फ नंगू नि0 नई बाजार कस्बा व थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–541/23, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 128 अल्प्राजोलम टैबलेट।

<u>गिरफ्तार कर्ता–</u>

उ0नि0 आशीष कुमार मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.09.2023

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं से घटित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 13.09.2023 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त विशाल जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना नवाबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माता द्वारा दिनांक 12.09.2023 को थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. विशाल जायसवाल पुत्र शिवचरन जायसवाल नि0 ग्राम वोसारे डिहवा मैनपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–442/23, धारा 376,504,506 भादवि व 3(1) द/ध व 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता–
01. उ0नि0 शेषनाथ पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.09.2023

गैरइरादतन हत्या करने का वांछित अभियुक्त अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में लम्बे समय से फरार/वांछित अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों के दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर गैरइरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्त नन्दलाल कश्यप को गड़रही अन्डर रेलवे पास के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। उक्त अभियुक्त मु0अ0सं0–384/20, धारा 323,504,304 भादवि में काफी लम्बे समय से वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. नन्दलाल कश्यप पुत्र श्यामलाल नि0 बखरवा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–384/20, धारा 323,504,304 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–271/23, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
प्र0नि0 छपिया सुरेश कुमार वर्मा मय टीम।